रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112022-240520 CG-DL-E-23112022-240520

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5222]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2022/ अग्रहायण 2, 1944

No. 5222]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2022/ AGRAHAYANA 2, 1944

### सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2022

का.आ. 5451(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि बिहार राज्य के अरिया जिले में NH327E के कि.मी. 129.62 से कि.मी.130 (जिला भू - अर्जन कार्यलय, समाहरणालय,अरिया) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आश्य की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भू - अर्जन पदाधिकारी,अरिया को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपित्तकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपित्तयों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपित्तयों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

7798 GI/2022 (1)

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची बिहार राज्य के अररिया जिले में NH327E के कि.मी. 129.62 से कि.मी.130 (जिला भू - अर्जन कार्यलय, समाहरणालय,अररिया) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: बिहार जिले का नाम: अररिया						
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
तालुक का नाम	ा: भरगामा		1			
गांव का नाम:	आदिरामपुर					
1	2167	सरकारी	सड़क के किनारे नाला	0.1073000(हेक्टेयर)	0.1073000	
गांव का नाम:	भरगामा					
1	2062	निजी	आवासीय	0.1050000(हेक्टेयर)	0.1050000	
2	2601	निजी	आवासीय	0.0037000(हेक्टेयर)	0.0037000	
3	2763	निजी	आवासीय	0.1544000(हेक्टेयर)	0.1544000	
4	2764	निजी	आवासीय	0.0078000(हेक्टेयर)	0.0078000	
5	2792	निजी	आवासीय	0.2215000(हेक्टेयर)	0.2215000	
6	2793	निजी	आवासीय	0.0580000(हेक्टेयर)	0.0580000	
7	2794	निजी	आवासीय	0.0125000(हेक्टेयर)	0.0125000	
8	2795	निजी	आवासीय	0.0837000(हेक्टेयर)	0.0837000	
9	2796	निजी	आवासीय	0.0766000(हेक्टेयर)	0.0766000	
10	2797	निजी	आवासीय	0.1066000(हेक्टेयर)	0.1066000	
11	2798	निजी	आवासीय	0.0148000(हेक्टेयर)	0.0148000	
12	2799	निजी	आवासीय	0.0348000(हेक्टेयर)	0.0348000	
13	2800	निजी	आवासीय	0.1207000(हेक्टेयर)	0.1207000	
14	2801	निजी	आवासीय	0.0046000(हेक्टेयर)	0.0046000	
15	2807	निजी	आवासीय	0.0217000(हेक्टेयर)	0.0217000	
16	2808	निजी	आवासीय	0.0306000(हेक्टेयर)	0.0306000	

17	2811	निजी	आवासीय	0.1300000(हेक्टेयर)	0.1300000
18	2812	निजी	आवासीय	0.0195000(हेक्टेयर)	0.0195000
कुल				1.3138	1.3138

[新. सं. RW/PAT/NH/327E/KM129.620-KM130/LA/2021/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2022

**S.O.** 5451(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH327E in the stretch of land from Km 129.62 to Km130 (District Magistrate office, Araria) in the district of Araria in the state of BIHAR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Land Aquisition Officer, Araria in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH327E in the stretch of land from Km 129.62 to Km130 (District Magistrate office , Araria) in the district of Araria in the state of BIHAR

State:	State: BIHAR District: Araria					
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)	
Taluk: Bhargama						
Village: Aadirampur						
1	2167	Government	Sadak ke kinare Nala	0.1073000(Hectare )	0.1073000	
Village: Bhargama						
1	2062	Private	Residential	0.1050000(Hectare )	0.1050000	
2	2601	Private	Residential	0.0037000(Hectare )	0.0037000	
3	2763	Private	Residential	0.1544000(Hectare )	0.1544000	
4	2764	Private	Residential	0.0078000(Hectare)	0.0078000	
5	2792	Private	Residential	0.2215000(Hectare )	0.2215000	
6	2793	Private	Residential	0.0580000(Hectare)	0.0580000	
7	2794	Private	Residential	0.0125000(Hectare )	0.0125000	

8	2795	Private	Residential	0.0837000(Hectare)	0.0837000
9	2796	Private	Residential	0.0766000(Hectare)	0.0766000
10	2797	Private	Residential	0.1066000(Hectare)	0.1066000
11	2798	Private	Residential	0.0148000(Hectare)	0.0148000
12	2799	Private	Residential	0.0348000(Hectare)	0.0348000
13	2800	Private	Residential	0.1207000(Hectare)	0.1207000
14	2801	Private	Residential	0.0046000(Hectare)	0.0046000
15	2807	Private	Residential	0.0217000(Hectare)	0.0217000
16	2808	Private	Residential	0.0306000(Hectare)	0.0306000
17	2811	Private	Residential	0.1300000(Hectare )	0.1300000
18	2812	Private	Residential	0.0195000(Hectare)	0.0195000
	Total 1.3138				

[F. No. RW/PAT/NH/327E/KM129.620-KM130/LA/2021/3A]
RAJESH GUPTA, Director